



# KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

**SSC GD FOUNDATION 2024 -25**

**Bilingual**



**PRABHU SIR**

# Preamble / प्रस्तावना

Preamble/ प्रस्तावना / उद्देशिका / आमुख



### प्रस्तावना-

संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श, संविधान का उद्देश्य और भूमिका शासन व्यवस्था और शासन का जनता से संबन्ध निहित है।

"प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है"।

- N. A. पालकीवाला

प्रस्तावना हमारे सपनों का दिर्घकालिक विचार है-

-अल्लादी कृष्ण अय्यर

### Preamble-

The high ideals of the members of the Constituent Assembly, the purpose and role of the Constitution lies in the governance system and the relationship of governance with the people.

"The Preamble is the identity of Constitution". - N. A. Palkhiwala

Preamble, The long-term idea of our dreams is-' -Alladi Krishna Iyer



• 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के तीसरे बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा प्रथम प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया जिसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया।

• प्रस्तावना के विचार को अमेरिका (USA) से लिया गया है।

• प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।

• The first proposal was presented by Pandit Jawahar Lal Nehru in the third meeting of the Constituent Assembly on 13 December 1946 in the form of an objective proposal, which was unanimously accepted by the Constituent Assembly on 22 January 1947.

• The idea of the PREAMBLE has been taken from America.(USA)

• The language of the PREAMBLE is taken from Australia.

• प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।  
अर्थात् यह असंशोधनीय है - **बेरुवारीवाद**  
**1960**

**The Preamble is not a part of the  
Constitution. That is, it is unchangeable -  
Beruvarivad 1960**

• प्रस्तावना संविधान का अंग है। अर्थात्  
यह संशोधनीय है - **केशवानंद भारती**  
**बनाम केरल 1973**

**The Preamble is a part of the Constitution.  
That is, it is amendable - Kesavananda Bharti  
vs. Kerala 1973**



- 42 वा संविधान संशोधन अधिनियम , 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया।

1. समाजवादी
2. पंथनिरपेक्ष
3. अखंडता

**By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 3 words were added to the Preamble.**

1. Socialist
2. Secular
3. Integrity

**आत्मा/हृदय/कुंजी/दर्पण/प्रतिबिम्ब/एक झलक/एक नज़र** Soul/Heart/Key/Mirror/Reflection/A glimpse/A glance

• **प्रस्तावना** - यह मूल रूप से भारतीय संविधान की आत्मा है। - **गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967**

**Preamble – This is basically the soul of the Indian Constitution. - Golak Nath vs State of Punjab 1967**

• **मूलअधिकार** - पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

**Fundamental Rights – According to Pandit Jawahar Lal Nehru, it is the soul of the Indian Constitution.**

**अनुच्छेद 32** - भीम राव आंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

**Article 32 – According to Bhim Rao Ambedkar, it is the soul of the Indian Constitution.**

**भाग 3 और भाग 4** - ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

**Part-3 and Part-4 – According to Grenwell Austin is the soul of the Indian Constitution.**



प्रस्तावना को भारतीय राजनीति का जन्म पत्री माना है। - K.M. Munshi

The Preamble is considered the birth certificate of Indian politics. - K M Munshi

26 नवंबर 1949  
को 2 साल 11 माह 18 दिन बाद  
भारतीय संविधान को अंगीकृत  
,अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया ,  
जिसमें 395 अनुच्छेद 22 भाग तथा 8  
अनुसूची थे।

After 2 years, 11 months and 18 days, on 26  
November 1949,  
the Indian Constitution was adopted and  
enacted, self-dedicated which had 395  
articles, 22 parts and 8 schedules.

15.....+1 अनुच्छेद को तत्काल प्रभाव से  
लागु कर दिया गया तथा शेष अनुच्छेदों को  
26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागु  
कर दिया गया।

15.....+1 Article was implemented with  
immediate effect and the remaining articles  
were fully implemented on 26 January 1950.



## राज्य की विशेषता या मूल स्रोत Characteristics or original source of the state –

प्रस्तावना में यह पांच प्रकार के हैं।

1. सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न
2. समाजवादी
3. पंथनिरपेक्ष
4. लोकतंत्र
5. गणतंत्र

These are of five types in the preamble.

1. Sovereign
2. Socialist
3. Secular
4. Democracy
5. Republic



## सम्पूर्ण प्रभुत्व संपन्न -

→ भारत  
राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामले में कोई भी निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जिस पर किसी भी शक्ति का कोई दबाव नहीं है।

↳ बाहरी  
आंतरिक

यह किसी भी राज्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है।

अपवाद - Ex. :- ① राष्ट्र का हो - UNO  
② न्यायपालिका के मामले में -

## Sovereign -

The state is completely free to take any decision in its internal and external matters. On which there is no pressure from any power.

This is the most important characteristic of any state.



समाजवादी- - 42वा C.A.A-1976.

↳ समाज में समता

समाजवादी वे राज्य कहलाते हैं , जो अपने यहाँ निवास कर रही जनता के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करें , आर्थिक समानता का प्रयत्न करें और उद्योगों पर नियंत्रण राज्य का हो। Basic Needs- रोटी, कपड़ा, मकान

भारत में लोकतान्त्रिक समाजवाद है , जो गाँधी और मार्क्स का समाजवाद है।

समाजवाद एक विचारधारा है इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता।

Socialist-

Those states are called socialist, which fulfill the minimum needs of the people living there, strive for economic equality and the state has control over the industries.

There is democratic socialism in India, which is the socialism of Gandhi and Marx.

Socialism is an ideology and cannot be defined.



पंथनिरपेक्ष  $\rightarrow$  पक्ष में नहीं।

$\rightarrow$  विचार - Thought.

'पंथ' का शाब्दिक अर्थ 'विचार' होता है ,

किसी भी विचार के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा ,  
चाहे वह किसी भी जाती धर्म सम्प्रदाय से संबंध रखता हो।

भारत में शासन करने के लिए किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है।

यहाँ पर निवास करने के लिए सर्व धर्म सम्भाव है।

Secular -

The literal meaning of sect is thought,

no person will be discriminated against on the basis of any thought,

no matter which caste, religion or sect he belongs to.

No religion has been accepted to rule in India.

All religions have the possibility to reside here.



लोकतंत्र - प्रजातंत्र, अतन्त्र, अनवादी.

यह हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है।

जनता को, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के शासन की सरकार  
- अब्राहम लिंकन

भारत में मिश्रित लोकतंत्र की व्यवस्था है।

लोकतंत्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होता है।

जनता द्वारा  
एवं

जनप्रतिनिधि  
द्वारा

Democracy -

It gives us the right to equality.

To the people, by the people, for the people, Government of the people

9 - Abraham Lincoln

There is a system of mixed democracy in India.

Democracy is direct and indirect.



गणतंत्र - गणराज्य - फ्रांस

गणतंत्र की दो प्रमुख विशेषता है।

१. राष्ट्र का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। → राष्ट्रपति

✓ २. राष्ट्राध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा।

गणतंत्र हमें मतदान का अधिकार देता है। → निर्वाचित (5 साल)

Republic -

There are two main characteristics of a republic.

1. The nation will have one head of state.

2. The post of Head of State will not be

hereditary.

The republic gives us the right to vote.

✓ ① भारत का राष्ट्राध्यक्ष - राष्ट्रपति → 5 साल - मतदान  
X ② ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष - महारानी/राजा → वंशानुगत



## न्याय - Justice

न्याय तीन प्रकार के है। इसे रूस की क्रान्ति, (Russian revolution) 1917 से लिया गया है, (वोल्गाशकी की क्रान्ति)

→ 1917

→ रूस → रूसी → वोल्गा

① सामाजिक न्याय

Social Justice

सविधान की स्थापना →

② आर्थिक न्याय

Economical Justice

समाजवाद की स्थापना — Basic Needs →

③ राजनैतिक न्याय

Political Justice

वयस्क मताधिकार का प्रवधान

18 वर्ष

कोटेदार  
↓  
सस्ते गल्ले  
की दुकान



## स्वतंत्रता - Liberty

यह 5 प्रकार का है इसे फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है।

- ① 1. विचार Idea ✓
- ② 2. अभिव्यक्ति expression
- ③ 3. विश्वास trust
- ④ 4. धर्म Religion ✓
- ⑤ 5. उपासना worship → उपासक

Parity/Equality – It is of two types, it has been taken from France. 1. Prestige 2. equality of opportunity  
fraternity Its meaning is brotherhood, it is taken from France.

✓ समता / समानता - Parity/Equality –

यह दो प्रकार का है इसे फ्रांस से लिया गया है। It is of two types, it has been taken from France.

- 1. प्रतिष्ठा 1. Prestige
- 2. अवसर की समानता equality of opportunity ✓

✓ बंधुता - fraternity

इसका अर्थ भाई चारा है , इसे फ्रांस से लिया गया है। Its meaning is brotherhood, it is taken from France.



✓ हम, भारत के लोग – We, the people of India -

इसे <sup>USA</sup> अमेरिका से लिया गया है , इसका अर्थ है संविधान की अंतिम शक्ति भारत की जनता में निहित है।

It has been taken from America, it means that the ultimate power of the Constitution lies with the people of India.

नोट -

१. प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है। → कोर्ट नहीं जा सकते।
२. आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय किसी शब्द की व्याख्या को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग कर सकेगा।

Note -

1. The preamble is not debatable.
2. If necessary, the court can use the preamble to understand the interpretation of any word.



## भारत का संविधान उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

संविधान के  
पुस्तक का पैज  
है।

साज-सज्जा

महोदय  
वापस





# KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

## THANKS FOR WATCHING

